

श.   
 29/1/20

298/बा/20  
29/1/20



फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मुशाहिद मोहम्मद खान 2.वर्तमान धारित पद सहायक लेखा अधिकारी

3.वर्तमान वेतन रूपये 45900/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम सिगारबोली, , वहसील हजूर, जिला भोपाल (म.प्र.)	मकान नं. 459, बी-सेक्टर इन्द्रविहार कालोनी, (तिलक सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित) (136.80 वर्ग मीटर)	निरंक	लगभग रूपये 90,00,000/-	स्वयं एवं पत्नी श्रीमती साहेहा सुल्तान के संयुक्त नाम से.	दिनांक 07.12.2018 को श्रीमती सीमा नवेद एवं श्री फहीम उददीन निवासी भोपाल से रूपये 49,75,000/- में क्रय किया गया।	निरंक	निरंक

\*जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\*ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\*इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक ( आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम :- मुशाहिद मोहम्मद खान

पद :- सहायक लेखा अधिकारी

29.1.2020